

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

—आदेश

ग्वालियर, दिनांक 4/10/2014

क्रमांक— 42/स्था0एक/सर्वतक/2014 इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 21/सी0ओ0/सर्वतक/2014 दिनांक 30.1.014 के सरल क्रमांक 3 पर पदोन्नति तथा आदेश क्रमांक 30/स्था0एक/सर्वतक/2014 दिनांक 27.5.2014 द्वारा श्री बालकृष्ण जोशी की राजस्व निरीक्षक पद पर पदस्थापना जिला रायसेन की गई थी ।

श्री जोशी द्वारा पदोन्नति पर नहीं जाने का निवेदन किये जाने के कारण इनकी पदोन्नति म0प्र0शासन, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक डी/328/684/87/नि-1/4 दिनांक 25.7.87 के क्रम में निरस्त की जाती है । तथा 1 वर्ष की अवधि के लिये पदोन्नति से वंचित किया जाकर पुनः अनुरेखक के पद पर कार्यालय कलेक्टर भू-प्रबन्धन जिला कटनी में पदस्थ किया जाता है ।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 11/1/2008/नियम/चार/नियम 24 जनवरी 2008 की कंडिका 13 के अनुसार राजस्व निरीक्षक पद पर जाने से इंकार करने पर समयमान वेतनमान का लाभ वापिस लिया जाता है ।

आयुक्त,

भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त,

मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक /स्था0एक/सर्वतक/2014

ग्वालियर, दिनांक—

प्रतिलिपि :-

- 1- कलेक्टर भू-प्रबन्धन रायसेन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 2- कलेक्टर भू-प्रबन्धन जिला कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 3- उप आयुक्त भू-अभिलेख जबलपुर की ओर सूचनार्थ ।
- 4- श्री बालकृष्ण जोशी, अनुरेखक कार्यालय कलेक्टर भू-प्रबन्धन जिला रायसेन की ओर पालनार्थ ।

आयुक्त,

भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त,

मध्यप्रदेश